न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –17/2020(2020/00027)

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 23, तहसील भादरा।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 23, तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासीं वार्ड न. 23, तहसील भादरा।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 23, तहसील भादरा।
3. मीरा देवी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 23, तहसील भादरा।
4. विद्यादेवी पत्नी केशुराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 23, तहसील भादरा।
5. राधेश्याम पुत्र केशुराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 23, तहसील भादरा।
6. शकुंतला पुत्री केशुराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 23, तहसील भादरा।
7. सम्पत पुत्र केशुराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 23, तहसील भादरा।
8. प्रकाश पुत्र केशुराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न. 23, तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

दावा बाबत घोषणात्मक व खाता तकसीम
अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री कालूराम शर्मा वादीगण
श्री बंशीलाल शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 17/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम गंगासिंहपुरा के वर्तमान खाता सं 47/43–45 के मु0न0 27 के किला न0 8 ता 25, मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 15, मु0 न0 57 के किला न0 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 58 के किला न0 11, 12, 18 ता 23, मु0 न0 71 के किला न0 7 इस प्रकार कुल 45 की कुल 10.9677 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी संख्या मोहनलाल के नाम 1/2 हिस्सा व चक ढाणी स्वामीयान के वर्तमान खाता संख्या 35/35 के खसरा न0 29 की 0.3790 है0, खसरा न0 31 की 1.8720 है0, खसरा न0 83 की 1.8340 है0 [illegible] 4.085 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/2 के नाम राजस्व [illegible] दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:33 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] उत्तराधिकार अधिनियम [illegible] हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले [illegible] के दादा सीताराम [illegible]दारी हुआ करती थी। सीताराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी मोहनलाल के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मिली थी। परन्तु प्रतिवादी मोहनलाल कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी मोहनलाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी मोहनलाल के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल को वादी के दादा सीताराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो चक गंगासिंहपुरा बारानी के सम्वत 2029–38 खाता संख्या 9 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्त से हक व हिस्सा है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/5 हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल व प्रतिवादिया संख्या 3 मीरादेवी के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हक व हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादीगण पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि चक गंगासिंहपुरा के खाता संख्या 47/43–45 में कुल 10.9677 हैक्टेयर में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम 1/2 हिस्सा व ग्राम ढाणी स्वीमयान के खाता संख्या 35/35 की कुल 4.085 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 23 भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक गंगासिंहपुरा बारानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 47/43–45 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम ढाणी स्वामीयान सम्वत 2074–77 खाता संख्या 35/35 प्रदर्श 2 व प्रबन्धक विभाग ग्राम कस्बा भादरा सम्वत 2029–38 प्रदर्श 3, ग्राम गंगासिंहपुरा बारानी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 5 प्रदर्श 4, खतौनी दरमियानी प्रदर्श 5 ता 8 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:33 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया कि रोही मौजा ढाणी स्वामीयान के खाता संख्या 35/35 के खसरा न0 29 की 0.3790 है0,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खसरा न0 31 की 1.8720 है0, खसरा न0 83 की 1.8340 है0 कुल खसरा न0 3 की कुल 4.085 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिन्हे प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम यथावत रखने का निवेदन किया है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 7 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 92/87 के मु0न0 25 किला न0 8, 9, 11, 12, 13, 18 ता 23 की 2.7830 हैक्टेयर मु0 न0 26 के किला न0 12 ता 18, 23 ता 25 की कुल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 5.3130 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह के नाम 1.767 हैक्टेयर व चक 18 एएमएस के खाता संख्या 44/46 मु0 न0 7 के किला नम्बर 11 ता 25 मु0 न0 8 के किला नम्बर 15, मु0 न0 10 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18 कुल 6.3250 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भूपसिंह का 1/3 हिस्सा मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम गंगासिंहपुरा के वर्तमान खाता सं 47/43–45 के मु0न0 27 के किला न0 8 ता 25, मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 15, मु0 न0 57 के किला न0 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 58 के किला न0 11, 12, 18 ता 23, मु0 न0 71 के किला न0 7 इस प्रकार कुल 45 की कुल 10.9677 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी संख्या मोहनलाल के नाम 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल का 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार, वादी सं 2 सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 मीरा देवी के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.202[illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:33 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़